पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आ0–18 / 2022–23 116/आ रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

राँची, दिनांक– 11-01-2023

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–01–राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु वेतन इकाई विपत्र कोड 40S20290010401000101 में कुल ₹1,16,842/– (रूपये एक लाख सोलह हजार आठ सौ बयालीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या–WP (S) No.-387/2016 में पारित आदेश के अनुपालन में अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक–2793 दिनांक–03.12.2022 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में श्री दशरथ रविदास, से0नि0, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल बिरनी को राज्य गठन के पूर्व का बकाया वेतन भुगतान हेतु वित्त विभागीय पत्रांक–2264, दिनांक–22.09.2004 के आलोक में वेतन इकाई विपत्र कोड 40S20290010401000101 में ₹1,16,842/– (रूपये एक लाख सोलह हजार आठ सौ बयालीस) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन DDO Code-GRDDAD 026 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0 दिनांक–17.04.1998, 322 / वि., दिनांक–28.01.2002, 1800 / वि., दिनांक–15.07.2003, 245 / बजट, दिनांक–30.03.2022 एवं पत्रांक–432 दिनांक–08.08.2022 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

PTO

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

9. उपरोक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

11/01/2023

(कमल किशोर सोन)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 116/3/11 राँची, दिनांक– 11-01-2023

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/01/2023

सरकार के प्रधान सचिव।